**घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद**

**(Suit for declaration and permanent injunction)**

न्यायालय…….

वाद नंबर ............ सन् ...

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स०द० फ० ............ प्रतिवादी

श्रीमान जी,

उपरोक्त वादी निम्न प्रकार विनम्र निवेदन करता है :

1. यह कि वादी ............ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है और ...... नाम से एक अस्पताल चला रहा है जिसकी स्थापना ............ में हुई थी जिसकी बहुत बड़ी मान्यता और साख समाज की सेवा करने के नाते है जिसमें भारत भर और विदेशों से भी रोगी आते हैं। निम्नांकित चिकित्सीय विभागों की सेवायें रोगियों के लिए उपलब्ध हैं। (यहाँ पर सेवा की श्रेणियों का उल्लेख करें)
2. यह कि वादी द्वारा लगभग ............ कर्मचारियों को नियुक्तियाँ दे रखी हैं जिनकी सेवा शर्तों का नियंत्रण लागू होने वाली सेवा नियमावली, व्यवहार नियमावली, कार्यालय आदेशों और आपसी समझौतों से किया जाता है और अधिकांश कर्मचारियों से समतापूर्ण और सामूहिक सौदेबाजा का काफी पुराना इतिहास चला आ रहा है।
3. यह कि कर्मचारीगण द्वारा जो कि प्रतिवादी की हैसियत में हैं अपने दिनांक ............ पत्र द्वारा कुछ माँगें उठाई हैं। याची, प्रबन्धन द्वारा अपनी सम्पूर्ण स्थिति का खुलासा किये जानक बावजूद उन माँगों के सम्बन्ध में प्रबन्धन द्वारा अत्यन्त औचित्य पूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये गय पर कर्मचारीगण अनावश्यक रूप से अपनी मांगों पर अड़े रहे और या तो परिस्थिति को वास्तविक को समझने में असफल रहे या सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धान्त को लागू करने से चिपक रह ।
4. यह कि अंतोगत्वा कर्मचारियों की माँगें और प्रबन्धन की आपत्तियों को न्याय-निणय संदर्भित किया गया था जो कि वर्तमान में औद्योगिक न्यायाधिकरण के सम्मुख न्यायआदेश पत्रांक ............ द्वारा लंबित पड़ा हुआ है जो केस नंबर ............ द्वारा पजा जा चुका है।
5. यह कि उनके द्वारा उपरोक्त औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय का इंतजार । बगैर कुछ हताश और उग्र कर्मचारियों द्वारा अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु वादी के प्रबन्धन को धम जबरन, मजबूर करने के इरादे से वह सब अनावश्यक, असंतोष भरा व्यवहार करक एक बनाई गईआर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई जिसमे औटयोगिक विवाट न्यायाधिकरण म परवा जाये और उनकी मांगों को मान लिया जाये। वे कार्य तो कर रहे हैं और उत्तेजना और बाले कार्य भी कर रहे हैं ताकि नियोजन अपने रास्ते से हटकर उनके द्वारा दर्शाये गये मार्ग को अपनाने के लिए मजबूर हो जाये।
6. यह कि उन हताश और उग्र कर्मचारियों के उपरोक्त कारनामे और उनके स्वार्थी नेताआ की तथा सभी प्रतिवादियों की गतिविधियां नाजायज श्रम व्यवहार जैसी लगती हैं और औद्योगिक विवाद निर्णय को देने के लिए प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत दुर्भावनात्मक रूप में लगती हैं । यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सीधी कार्यवाही करना स्पष्ट रूप से निषेध है अथवा किसी भी पक्षकार द्वारा उत्तेजनात्मक कार्यवाही का किसी भी औद्योगिक विवाद हेतु किया जाना और उस समय जब एक बार श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण में सुनवाई के लिए अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत लंबित हो।
7. यह कि उपरोक्त आरोपित कार्रवाई कानून के द्वारा प्राप्त होने वाले निर्णय को दरकिनार करने का असफल प्रयास है जो कि कानून की दृष्टि से बिल्कुल अनियमित और अस्वीकार्य है।
8. यह कि माह ............ के अंतिम सप्ताह में एक समय उत्तरदाता और इसके पदाधिकारियों और हमदर्दो द्वारा वादी की कार्यशाला ............ में प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर दिया था। जिस कारण कार्य में विघ्न उत्पन्न हुआ और साथ ही साथ वादी के अस्पताल में रोगियों के इलाज में भी अड़चन पड़ी।
9. यह कि दिनांक ............ और ............ को प्रतिवादी गण और उनके पदाधिकारीगण और उनके लिए कार्य करने वालों द्वारा एक उत्तेजनात्मक और गैर कानूनी प्रदर्शन किया गया जिसमें आम जनता को आह्वाव करते हुए वादी के कार्यकलाप के विषय में भ्रम और तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न की गई।
10. यह कि इसके वाद से वे लगातार ऐसा हिंसात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं और कामगारों और स्टाफ को इस बात के लिए उक्सा रहे हैं कि वे वादी की सम्पत्ति और कर्मचारियों के विरुद्ध सीधी हिंसात्मक कार्यवाही अमल में लावें । उपरोक्त प्रतिवादी गण ...... उनके पदाधिकारीगण और हिमायती सभी ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए अमादा हैं जो कि तोडफोड़ और हिंसात्मक आदि का रूप ले सके जो कि उचित चिकित्सीय सेवा के वास्ते सहज नहीं है और जो रोगियों के मस्तिष्क में सेवा की प्रकृति जो उन्हें मिल रही है के प्रति भ्रम और जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है जो कि उनकी जिन्दगी के बारे में जोखिम उठाने जैसा है। यह सब वादी के ............ की ख्याती को बरबाद करने के स्वार्थ से प्रेरित है जो कि वादी के ............ से उन्हें भगाने का कारण हिंसा और तोड़फोड़ के कारण बन रहा है जो कि प्रतिवादियों द्वारा किया जा रहा है और बराबर जारी है।
11. यह कि यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अन्य चिकित्सीय सुविधाओं के साथ साथ वादा के यहाँ एक गहन चिकित्सक यूनिट भी है और एक कारोबरी केयर यूनिट भी है और साथ हा साथ लेबर रूम व तान्त्रिक विज्ञान विभाग भी है जिनमें काफी बड़ी संख्या में मरीजों को दाखिल किया गया है जहाँ पर उन्हें गहन चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है और जो वादी के अस्पताल द्वारा किसी सामान्य अथवा आपात सविधा न मिलने से उन्हें गम्भीर विपरीत प्रतिफल भगतने पट सकत है। आम जनता का आह्वान करने व नारे लगाने से ओर लाउडस्पीकर आदि प्रयोग करने से और इसी तरह की अन्य किसी प्रकार का शोर मचाने से अथवा हिंसात्मक व्यवहार करने से ऐसे गया को गम्भीर घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
12. यह कि प्रतिवादी ............ इसके पदाधिकारीगण और उसके लिए कार्य करने वालों द्वारा हाल ही में दिनांक से हिंसात्मक तोड़फोड़ वाली ओर अनियमित गतिविधियाँ करनी जारी कर दी हैं और साथ ही साथ कर्मचारियों और कामगा। कीड़काने था घणा लाने 01:0 प्रक्रिया का आश्रय लेना भी प्रारम्भ कर दिया है जो कि ............ सम्बन्ध में पूर्णतया अचिन्तय है। प्रतिवादी............. और इसके पदाधिकारी एवं कार्य करने वालों द्वारा जन आन्दोलन का मंच ङ्केi Hit al) पांधि में बाया जा रहा है । जिसमें ...... अधिक भीड़ लोगों की लाकर जमा की गई और चन्द दिनों के अन्तराल पर दिनांक ............ से इस भीड़ द्वारा वादी के कार्यकर्ताओं व सम्पत्ति के साथ सीधी हिंसात्मक कार्यवाही व जोर-जोर से नारे लगाकर और अपमानजनक और माली गलोच करके जनता के बीच उत्तेजनात्मक भाषण लाउडस्पीकर लगाकर उकसाया जा रहा है।
13. यह कि हाल ही में दिनांक .......... को प्रदर्शन किया गया है। जिसके कारण पूर्व से ही चल रहे हिंसात्मक प्रदर्शन से बच निकलना कठिन बनता जा रहा है और वादी को मामला हाथ से निकल जाने का बहुत गहरा डर है जिसके परिणामस्वरूप वादी के अस्पताल के कर्मचारियों के जीवन और सम्पत्ति को साथ ही साथ मरीजों के जीवन व उनके तामीरदारों की जान माल को बड़ा खतरा है।
14. यह कि उनके द्वारा खुलेआम यह घोषणा कर दी गई है कि वे अपने आन्दोलन को और उग्र रूप देने वाले हैं जो कि बहुत बड़े जन आन्दोलन और प्रदर्शन के द्वारा होगा। रोगियों, चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों जिन्हें पहले से ही अत्यन्त परेशानी से सामना करना पड़ रहा है वे हिंसात्मक प्रदर्शन की धमकियों से अत्यन्त भयभीत है। इससे अतिआवश्यक और जन उपयोग की सेवा पर पूर्णतया विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अस्पताल में और उसके बाहर चारों ओर इस समय एक भय और चिन्ता का वातावरण बना हुआ है।
15. यह कि वादी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है परन्तु यह भी प्रदर्शनकारियों को मनाने में सफल नहीं हो पाई ताकि वे हिंसात्मक प्रदर्शन न करें।
16. यह कि जब तक प्रतिवादियों को प्रदर्शन करने, धरना देने, बैनर आदि चस्पा करने से रोका नहीं किया जायेगा तो वादी को अपर्णीय आघात लगेगा और सभी सामान्य सेवाओं को चलाया जाना अत्यन्त प्रभावित हो जायेगा।
17. यह कि वादी को अपना अस्पताल सुचारू रूप से चलाने का अधिकार है । वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है ! सुविधा सन्तुलन वादी के पक्ष में है—प्रतिवादीगण को वादी की सम्पत्ति पर हिसात्मक प्रदर्शन करने, धरना देने अथवा अस्पताल के सचारू रूप में चलाने में किसा प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है-प्रतिवादीगण के अपकृत्यों से वादीगण को अपूणाय सात पहुँच रही है।
18. यह कि वाद का हेतुक दिनांक ............ को उत्पन्न हआ और उसके बाद. दिनाद प्रतिवादियो के द्वारा हिसात्मक गतिविधियों के करने से निरन्तर उत्पन्न हो रहा है और वा कर्मचारीगण जिन्होंने कर्मचारियों को प्रदर्शन व धरना देने के लिए प्रेरित होना प्रारम्भ कर । और जो बराबर जारी है। अभी हाल ही में उग्र हिंसात्मक प्रदर्शन दिनांक ............ को हुआ था ।
19. यह कि वाद के पक्षकार ............ में रहते हैं और अपनी गतिविधियाँ चलाते हैं इसलिए इस मान्य न्यायालय को वाद को सुनने और निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।
20. यह कि न्याय शल्क के उद्देश्य के लिए और क्षेत्राधिकार वास्ते वाद का मूल्यांकन ..... किया जाता है और वांछित न्याय शुल्क उस पर अदा की गई है।
21. अत: वादी सविनय निम्न निवेदन करता है -
22. प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने सहायकों, एजेन्टस, प्रतिनिधियों, साथ ही साथ सदस्य गण, अथवा संघो, उनके मददगारों, या हमदर्दो को उत्तेजना फैलाने, प्रदर्शन करने, धरना देने अथवा धरना आयोजित करने व शामियाना जो कि वादी की सम्पत्ति के अन्दर और बाहर 200 मीटर के अर्धव्यास तक लगाने से स्थाई व्यादेश द्वारा प्रतिबन्धित किया जाये।
23. प्रतिवादियों को इसके लिए भी प्रतिबन्धित किया जाये कि स्वयं या अपने ऐजेन्टस या प्रतिनिधियों द्वारा इच्छुक कर्मचारियों को परेशान, भयभीत चले जाने, घुसने से मना न करें अथवा ताश खेलने, बैनर्स, नोटिस, झण्डे आदि चिपकाने तथा दीवार लेखन आदि वादी की सम्पत्ति में करने से प्रतिबन्धित किया जाये।
24. पुलिस थाना ............ के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिये जायें कि मान्य न्यायालय के आदेशों का पालन कराया जाये।
25. अन्य कोई अनुतोष जो यह मान्य न्यायालय उचित और पर्याप्त समझे केस की परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखकर भी वादी के हित में व प्रतिवादी के विरुद्ध दिया जाये।
26. वाद के हर्जे खर्चे को वादी के हित में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध दिलाये जाने का आदेश पारित किया जाये।

**स्थान ............ दिनांक .......... वादी...**

 **द्वारा अधिवक्ता.......**

**सत्यापन**

आज दिनांक ............ के स्थान ............ पर सत्यापित किया जाता है कि वादपत्र के प्रस्तर 1 लगायत 17 के कथन मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में तथा प्रस्तर 18, 19, 20 के कथन आंशिक रूप से मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में तथा आंशिक रूप से विधिक परामर्श पर आधारित है जिनके सत्य होने का में विश्वास करता हूँ-कोई तथ्य असत्य नहीं है और न कोई तथ्य छिपाया गया है।

**.........घोषक (शपथकर्ता)**